पत्रांक 1/12/2018-वीएस (सीआरएस)/ 385-386
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi – 110066
ई-मेल : rgi.rgi@nic.in, drg-crs.rgi@nic.in sandhya.singh@nic.in दिनांक - 03-04-2019

परिपत्र

विषय- जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में पहचान प्रमाण के रूप में आधार संख्या के प्रयोग के संबंध में।

आपका ध्यान जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी (सेवानिवृत्त) व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य की रिट याचिका (सिविल) संख्या 494 ऑफ 2012 पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.09.2012 की ओर ओर दिलाया जाता है। आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए उक्त न्यायालय ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 57 का उल्लेख किया है। धारा 57 के तहत आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के उद्देश्य से, आधार अधिनियम की धारा 57 का भाग जो निगमित निकाय और व्यक्ति को प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था।

2. जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है और आरबीडी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति देता है। आधार के इस तरह के इस्तेमाल के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, धारा 57 लागू नहीं है, इसलिए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

3. आधार के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए, आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही करें और सभी स्थानीय पंजीकरण प्राधिकारियों को स्पष्ट करें कि आवेदक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार नंबर या नामांकन आईडी की भौतिक प्रति स्वेच्छा से प्रदान कर सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार संख्या के पहले आठ अंकों को काली स्याही से छिपा दिया गया हो। किसी भी स्थिति में आधार नंबर को डाटाबेस में संग्रहीत नहीं किया जाए या किसी भी दस्तावेज पर मुद्रित नहीं किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर केवल आधार नंबर के अंतिम चार अंकों को प्रिंट या स्टोर किया जा सकता है। इसलिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण के

उद्देश्य से आधार नंबर के इस्तेमाल को अनिवार्य आवश्यकता नहीं माना जाना चाहिए। इस कार्यालय को इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाए।

(संध्या सिंह)
उप महारजिस्ट्रार (वीएस)

सेवा में,

सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के जन्म-मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
"Ensure Registration of Every Birth and Death"